(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 70/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 30 जनवरी, 2019

विषयः प्राधिकार–पत्रों की क्लबिंग की सुविधा के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक में संशोधन।

समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार जनहित में प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.38 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

पैरा 4.38 प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा

(i) 31 मार्च, 2009 को या इससे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों को क्लबिंग की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) क्लबिंग हेतु अनुरोध एएनएफ–4ग में उस संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को करना होगा जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है।

(iii) अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा ऐसे प्राधिकार पत्रों के मोचन/नियमितीकरण हेतु ही उपलब्ध होगी तथा आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) क्लबिंग की सुविधा विदेश व्यापार नीति 2009–14 और 2015–20 की अवधि के दौरान जारी वार्षिक आवश्यकताओं हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए भी उपलब्ध होगी, जहां कहीं भी अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड (सिओन) के अनुसार निर्यात और आयात हुआ हो।

(v) क्लबिंग के लिए केवल उन प्राधिकार पत्रों की अनुमति होगी जिनके तहत सदृश शुल्क छूट का लाभ लिया गया है। ऐसे प्राधिकार पत्र अलग–अलग वित्तीय वर्ष के हो सकते हैं।

(vi) केवल ऐसे प्राधिकार पत्रों को क्लब किया जाएगा जिन्हें सबसे पहले के प्राधिकार पत्र जिसे क्लब किया जाना अपेक्षित है, के जारी होने की तारीख से 18 महीने के भीतर जारी किया गया हो, चाहे ऐसे प्राधिकार पत्र मान्य हो या न हो। यह इस शर्त के अध्यधीन भी है कि क्लबिंग करने पर सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख से 30 महीनों के भीतर किए गए आयात पर ही विचार किया जाएगा। सबसे पहले के प्राधिकार पत्र के 30 महीनों के बाद किए गए किसी आयात को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के अंतर्गत नियमित किया जाएगा।

(vii) प्रत्येक प्राधिकार पत्र की प्रारंभिक अथवा विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर किए गए निर्यात (प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42 के प्रावधानों के अनुसार संघटन शुल्क के भुगतान के बाद) को क्लब किया जाएगा।

(viii) क्लबिंग करने पर यदि मूल्य या मात्रा में कमी पायी जाती है तो उसे प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.49 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाएगा।

(ix) अलग–अलग निर्यात दायित्व अवधि के साथ जारी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की भी अनुमति होगी।

(x) निविष्टियों जो सभी प्राधिकार पत्रों के लिए सामान्य है, को क्लब किया जाएगा और मानदंड समिति द्वारा निर्धारित सिऑन/तदर्थ मानदंडों के अनुसार शुल्क मुक्त निविष्टियों का हिसाब किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सभी प्राधिकार पत्रों में शामिल सभी निविष्टियों का समान होना आवश्यक नहीं है।

(xi) क्लबिंग करने पर निर्यात उत्पाद के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं में यथा निर्धारित न्यूनतम मूल्य वर्धन को बनाए रखना होगा।

(xii) क्लबिंग के बाद प्राधिकार पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकार पत्र के रुप में मान्य माना जाएगा। प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के बाद परिकलित कुल सीआईएफ और कुल एफओबी के आधार पर मूल्य संवर्धन की गणना की जाएगी।

(xiii) पूर्व के प्रावधानों के अनुसार क्लब किए गए सभी मामलों को फिर से शुरु नहीं किया जाएगा।

(xiv) उन प्राधिकार पत्रों के संबंध में किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी को किसी गलत तथ्य/धोखा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा, उन प्राधिकार पत्रों को क्लब करने की अनुमति नहीं होगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है या न्यायनिर्णय आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।

(xv) परिशिष्ट–30क (एफटीपी 2009–14 के तहत जारी)/परिशिष्ट 4ञ (एफटीपी 2015–20 के तहत जारी) के अंतर्गत शामिल प्राधिकार पत्रों तथा 18 महीने से कम ईओपी के साथ जारी प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के लिए अतिरिक्त प्रावधानः

(क) क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि की गणना सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से की जाएगी।

(ख) ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी निर्यात क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्र में सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से गणना की गई प्रारंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पूरे किए जाते हैं।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग से संबंधित पैरा में संशोधन किया गया है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा० सं० 01/94/180/384/एएम–19/पीसी–4 से जारी]